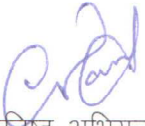


परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के कपकोट में असीं से बसकूना तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य (4 कि०मी०) हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०

कपकोट



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०

कपकोट



अधीनस्थ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०

कपकोट

ह०

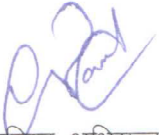
प्रभागीय वनाधिकारी

A-2.31

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के कपकोट में असौं से बसकूना तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य (4 कि०मी०) हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

मानक शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मार्ग में मानक शर्तों का अनुपालन किया जायेगा ।



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०

कपकोट



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०

कपकोट



अधिरक्षी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०

कपकोट

प्रपत्र-2.19.4

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में असीं से बसकूना तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मक डम्पिंग प्लान / प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में असीं से बसकूना तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग के नव निर्माण में उत्पादित मलवे को उचित प्रक्रियानुसार स्थान पर डम्पिंग किया जायेगा। मलवा कहीं भी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र एवं जल स्रोतों में नहीं डाला जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कपकोट



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कपकोट

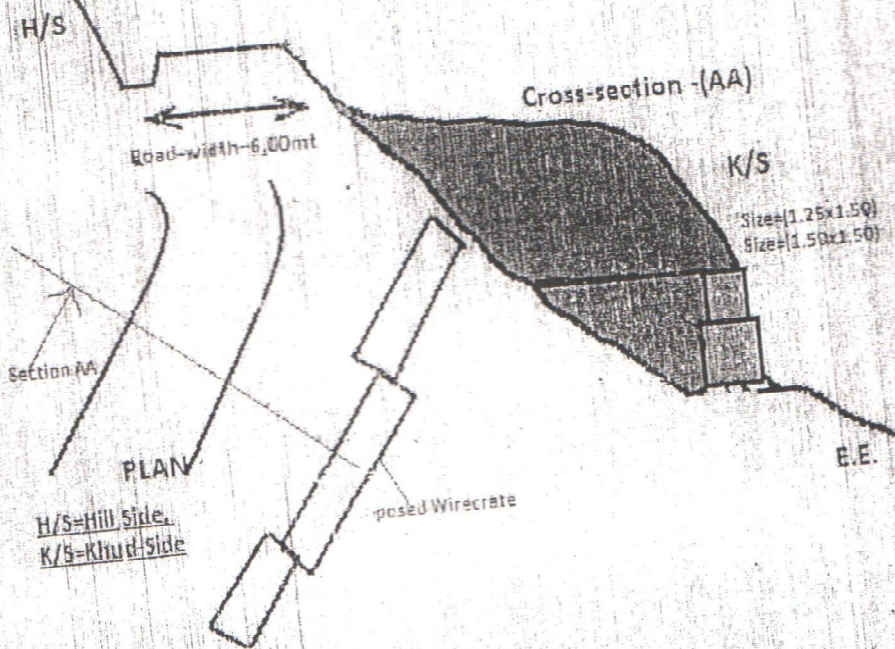


अधिराशी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कपकोट

4 Km ch road
A-2.19-20

Typical Drawing Dumping Zone

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद
वर्गिष्ठ में मसी से बसकूना तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य
(4km)



J.E.

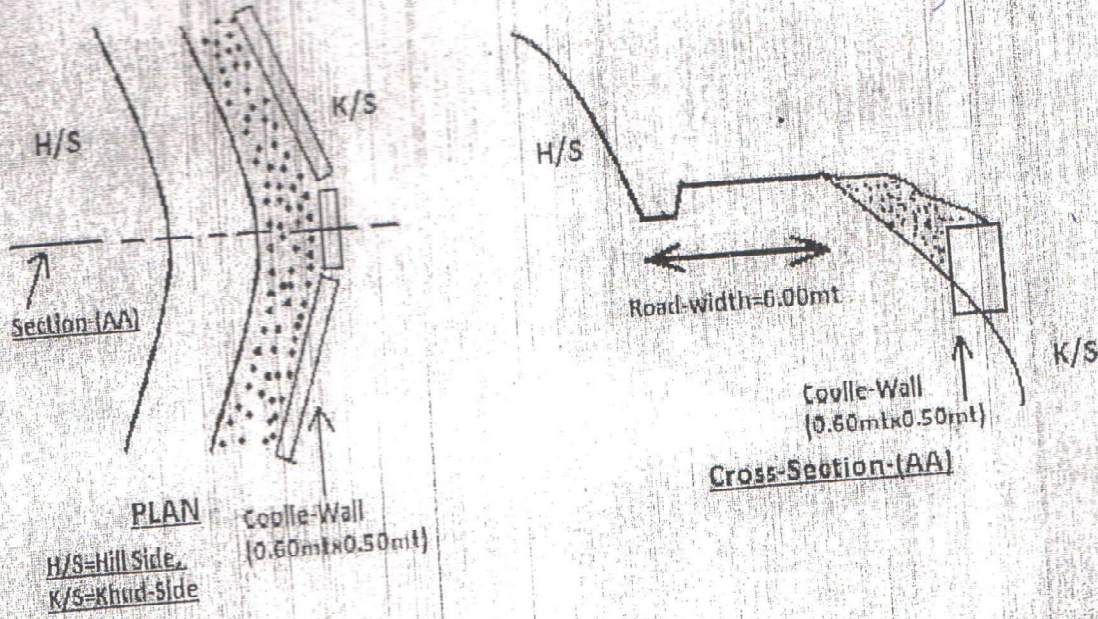
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० विभाग
कपकोट (मनेश्वर)

Handwritten signature

A.2.19.21

Typical Drawing Dumping-Zone

राज्य योजना के अंतर्गत जलपट्ट बगीचर के कपकोट में मसी से
वसहूत तक मोटरमार्ग के निर्माण कार्य (4 km)



J.E.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड सी० नि० विभाग
कपकोट (मनेश्वर)

115

K 2 Hm 1/28

K 2

N 29° 54' 51.95"

E 79° 53' 29.34"



K 2 Hm 1/28

N 29°54'50.71"
E 79°53'14.52"

~~Km 1, 0/20~~

Km 1, 0/20



N 29°54'51.40"
E 79°53'24.57"



Km 2
Km 0/40

A.2.20राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत असौ से बसकूना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में पोथिना से सोभाकुण्ड तक मिसिंग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। हेतु सिविल भूमि-0.700 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि 0.700 हैक्टेयर (कुल-1.400 हैक्टेयर) वनभूमि राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी 60 किमी है।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में पोथिना से सोभाकुण्ड तक मिसिंग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। हेतु सिविल भूमि-0.700 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि 0.700 हैक्टेयर (कुल-1.400 हैक्टेयर) वनभूमि राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी 60 किमी है।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में पोथिना से सोभाकुण्ड तक मिसिंग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। हेतु सिविल भूमि-0.700 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि 0.700 हैक्टेयर (कुल-1.400 हैक्टेयर) वनभूमि राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी 60 किमी है।

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be under FCA)

A proposal has been received by this office from Dt अधिशासी अभि० लोक निर्माण विभाग कपकोट for diversion under FCA – 1980) of1.400.....ha. Of forest land non forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत असौ से बसकूना मोटर मार्ग के निर्माण The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency in Col. Is a RF/PF/un-classed/Project Forest measuring...1.400...ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 part I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/ endangered/ unique species of flora and fauna found in the area. If so the detail there of. No

Whether any projected archeological/heritage site/ defense establishment or any other important monuments is located the area, if so the details there of with NOC from competent authority required- No

- The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. No
- It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act 1980 provisions. A detail report as per Para 1.9 of chapter 1, para C of handbook of forest (Conservation), Act 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place कपकोट
 Date

(signature) [Signature]
 Name प्रभागीय वन्यजीव
 Designation बागेश्वर वन प्रभु
 Office Seal बागेश्वर

- N.B. ☒ State the purpose for which the forest land is purposed to be diverted
☒ Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16.10.2000 From ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 Hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving then 40 hectare of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

A.2.24

आम सभा का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में असौ (र) से बसवना तक 4 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु जो सर्वेक्षण कार्य लोक निर्माण विभाग जम्बोड द्वारा कराया जा रहा है। उससे हम समस्त ग्रामवासी एवं ग्राम प्रधान एवं जन से सहमत हैं। हम जम्बोड ग्रामवासी सर्वेक्षण में पड़न वाली अपनी नाप भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु देने को तैयार हैं। इस सर्वेक्षण कार्य से उपरोक्त मार्ग के समाप्ति हेतु किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है।

स्थान:-

भवदीय,

दिनांक:-

ग्राम प्रधान / जनप्रतिनिधि

मूनी भैरवा
दि. 10.05.2018 (गवैरगर)

सहायक
जन प्रमुख
बागेश्वर

नीर शर्मा

बागेश्वर
विकास अधिकारी